रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28, 1983/ज्येष्ठ 7, 1905
No. 236] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28, 1983/JYAISTHA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 1983

का. आ 382(अ) —इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एल-11011(7)/83-डी.-2 (बी), तारीख 28 अप्रैल, 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन इसके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों का, उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराधों के बारे में, जहां उन अपराधों का संबंध इण्डियन एयर लायन्स कारपोरेशन के बम्बई में किसी सेवा में या उनके कार्यकलाप के बारे में किसी अनुचित हड़ताल से है , श्री एन. सुन्दर

राजन, निदेशक पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा भी इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रयोग किया जाएगा ।

[सं. एल-11011/7/83-डी 2(बी)]

वी. एस. एलावादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 1983

S.O. 382(E).—In partial modification of this Ministry's notification No. L-11017(7)/83-D. II(B) dated 28th April, 1983 the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sub-section (1) of section 34 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) in relation to the offences under section 27 of the said Act shall, in so far as those offences relate to any illegal strike in any service in, or in connection with the working of the Indian Airlines Corporation at Bombay, be exercisable also by Shri N. Sunder Rajan, Director, Ministry of Tourism and Civil Aviation, Government of India, New Delhi, from the date of issue of this notification.

[No. L-1101/(7)/83-D, II(B)]

V. S. ALLAWADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983